भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2392
दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पाइप के द्वारा पेयजल

2392. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में ग्रामीण परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन का क्या प्रभाव है;
(ख) वर्ष 2024 तक सभी को पाइप से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;
(ग) जेजेएम के अंतर्गत कार्यान्वित जलापूर्ति योजनाओं की स्थिरता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना के संचालन और रखरखाव, सामुदायिक भागीदारी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार और अपशिष्ट जल स्रोतों के उपचार और जल परीक्षण सुविधाओं के प्रावधान के लिए क्या पहल की गई है; और
(ङ) जेजेएम के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन में देरी, अपर्याप्त वित्त पोषण और जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए/ उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के साथ 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर का प्रावधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल क्रियान्वित कर रही है।

अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 09.03.2025 तक, लगभग 12.28 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 09.03.2025 तक, देश के 19.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.51 करोड़ (79.91%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा सकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

i. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अनुमान लगाया है कि जेजेएम के तहत कार्यपूर्णता द्वारा मुख्य रूप से महिलाओं के लिए हर दिन 5.5 करोड़ घंटे से अधिक समय की बचत होगी, जो अन्यथा घरेलू जरूरतों के लिए पानी के संग्रह में व्यतीत होता है।
ii. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह भी अनुमान लगाया है कि देश में सभी परिवारों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया रोगों के कारण होने वाली लगभग 400,000 मौतों को टाला जा सकता है जिससे बचाए गए जीवन के कारण लगभग 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (डीएएलवाई) की बचत हो सकती है।
iii. माइकल क्रेमर ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर में लगभग 30% की कमी आने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि वार्षिक रूप से 1,36,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है।
iv. भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की भागीदारी में जेजेएम की रोजगार संभावना का अनुमान लगाया है। दोनों संस्थानों द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जेजेएम के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) चरण के दौरान प्रत्यक्ष रोजगार 59.9 लाख व्यक्ति-वर्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार 2.2 करोड़ व्यक्ति-वर्ष होंगे। इसके अलावा, मिशन के प्रचालन और रखरखाव से 13.3 लाख व्यक्ति-वर्ष प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

(ग): सृजित अवसंरचना की दीर्घावधिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान करने से पहले गुणवत्तायुक्त सामग्री और गुणवत्तायुक्त निर्माण को तृतीय पक्ष निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, ग्रामीण समुदायों और पंचायतों के बीच स्वामित्व की भावना जाग्रत करने के लिए, जल आपूर्ति प्रणालियों से संबंधित सभी निर्णयों में ग्राम स्तरीय योजना और सामुदायिक भागीदारी के पहलुओं को जेजेएम के डिजाइन में शामिल किया

गया है। ग्रामीण समुदाय की भागीदारी के लिए मिशन के अंतर्गत शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलों की सूची निम्नानुसार है:

- ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों की लगभग 5.30 लाख उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) अथवा पानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें कम से कम 50% महिला सदस्य और समाज के सीमांत वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व है।
- फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है तथा अब तक 24.81 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और अब तक 2024-25 में एफटीके के माध्यम से 89.55 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।
- 14,000 से अधिक गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/महिला स्वयं सहायता समूह/सीबीओ/ट्रस्ट/फाउंडेशन, जिन्हें आईएसए कहा जाता है, देश भर में ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रखरखाव और योगदान के सभी स्तरों पर सामुदायिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु कार्यरत हैं।

जेजेएम के तहत अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को 15वें वित्त आयोग के अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, एमपी/एमएलए-एलएडी निधि, जिला खनिज विकास कोष, सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि के साथ सामंजस्य में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा, जल आपूर्ति योजनाओं के प्रचालन और रखरखाव के मुद्दे को हल करने के लिए, जेजेएम के तहत यह प्रावधान भी किया गया है कि योजना के शुरू होने के बाद समुदाय को चरणबद्ध तरीके से उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के साथ-साथ उनके संबंधित गांव में जल आपूर्ति योजना पर पूंजीगत व्यय का 10% तक पुरस्कार/प्रोत्साहन दिया जाए।

(घ): चूँकि जल राज्य का विषय है अत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवधिक आधार पर जल गुणवत्ता का परीक्षण करने और यथा आवश्यकता सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए निर्धारित गुणवत्ता का है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए जल नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रहण,

रिपोर्टिंग, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए सक्षम बनाने हेतु, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

घरों से निकलने वाले गंदले जल (ग्रेवाटर)/अपशिष्ट जल का शोधन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामंजस्य में जेजेएम निधियों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में सोख्ता गड्ढे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ङ): राज्यों ने सूचित किया है कि जल की कमी, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, प्रबंधन, प्रचालन और रखरखाव के लिए तकनीकी क्षमता की कमी, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछेक समस्याएं हैं।

चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इन पर काबू पाने के लिए, भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय हेतु विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामनिर्देशन; तकनीकी कौशल सेटों और मानव संसाधन की उपलब्धता में अंतर को कम करने हेतु ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना और *"नल जल मित्र कार्यक्रम"* का कार्यान्वयन शामिल हैं।

इसके अलावा, विशेष रूप से पेयजल उपलब्धता के लिए स्थायी जल प्रबंधन के महत्व को स्वीकार करते हुए, जल शक्ति अभियान: कैच द रैन (जेएसए-सीटीआर) को 2023 में "*पेयजल हेतु स्रोत स्थिरता*" विषय के साथ लागू किया गया था। इसी तरह, 2024 में, जेएसए को "*नारी शक्ति से जल शक्ति"* विषय के साथ लागू किया जा रहा है।

*****